कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 276/ 2020

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर, द्वारा इस आशय का पत्र आज दिनांक--04.09.2020 को प्रेषित किया गया है कि अभियुक्त लवकुश मिश्रा पुत्र ओम प्रकाश मिश्र अपराध संख्या–187/2020 थाना दोस्तपुर जिला सुलतानपुर अर्न्तगत धारा-- 302,120बी आई0पी0सी0 में प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह द्वारा आला कतल तमन्चा 315 बोर की बरामदगी के सम्बन्ध में पुलिस कस्टडी रिमाण्ड हेतु दिनांक--03.09.2020 को जिला कारागार सुलतानपुर से न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश हुआ। उक्त अभियुक्त का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड दिनांक 04.09.2020 को प्रातः 9.00 बजे से 5.00 बजे स्वीकृत हुआ था। उक्त अभियुक्त जिला कारागार में एण्टीजन टेस्ट होने पर कोरोना पाजिटिव पाया गया।

जिला कारागांर सुलतानपुर द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि उपरोक्त अभियुक्त कोविड पाजिटिव है तथा बन्दी को उपचार हेतु एल--1 अस्पताल के0एन0आई0टी0 में उपचार हेतु भर्ती किया गया है। प्रभारी निरीक्षक थाना दोस्तपुर द्वारा भी उपरोक्त अभियुक्त को कोरोना पाजिटिव व न्यायालय में पेश करने की लिखित आख्या प्रस्तुत की है।

उपरोक्त पत्र पर कोविड--19 प्रिवेन्शन समिति जनपद न्यायालय, सुलतानपुर से आख्या तलब की गई जिस पर उन्होने अभियुक्त लवकुश मिश्रा पुत्र ओम प्रकाश मिश्र अपराध संख्या–187/2020 थाना दोस्तपुर जिला सुलतानपुर को प्रपत्रों के आधार पर कोरोना पाजिटिव होना बताया है। उक्त अभियुक्त पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हुआ था और उस समय सभी न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य सम्पादित किया जा रहा था।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–1117/LXXXVII-CPC/e-Courts Allahabad, Dated: 03.06.2020 के बिन्दु सं0 15 में निर्देशित किया गया है कि "Whenever the District Administration/ C.M.O. concerned is of the opinion that the District/ Outlying Court campus should be closed for a particular period and/or the District Judge is of the opinion that the District Court/ Outlying Court should be closed for particular period, then the District Court/ Outlying Court may be closed for the said period and an intimation mentioning the specific reasons may be sent to Allahabad High Court."

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह गोपन अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र सं0 1431/2020/सीएक्स–3 दिनांक 06.06.2020 में दिये गये दिशा निर्देश के भाग–ख जो कार्यालय से समबन्धित दिशा निर्देश हैं, के बिन्दु सं0 5 के अनुसार कोविड 19 का केस पाये जाने पर कार्यालय को सैनिटाइज़न हेतु 48 घण्टे तक बन्द किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

समिति की राय में कोविड महामारी से बचाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय उपरोक्त सर्कुलर व शासनादेश के अनुपालन में दीवानी न्यायालय परिसर को 48 घण्टे के लिये बन्द कर साफ–सफाई व सैनिटाइजे़शन कराया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, Dated: 03.06.2020 व उपरोक्त शासनादेश के परिपेक्ष्य में जिला न्यायालय

परिसर सुलतानपुर को 48 घण्टे बन्द करके साफ–सफाई व सम्पूर्ण सैनिटाइज़ेशन कराया जाना आवश्यक है।

अतः न्यायालय परिसर आज दिनांक–04.09.2020 से 48 घण्टे (दिनांक– 05.09.2020 एवं 06.09.2020) के लिये साफ–सफाई व सैनिटाइज़ेशन हेतु बन्द की जाती है। उपरोक्त अवधि में न्यायालय परिसर को सैनिटाइज़ करा कर कोविड समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 03.09.2020 से 5 दिन पूर्व से जो भी कोरोना पाज़िटिव पाये गये अभियुक्त के सम्पर्क में आये हों वह स्वयं को होम क्वारण्टाइन कर सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें जिससे उनके नाम, पता व मोबाइल से चिकित्साधिकारी को अवगत कराया जा सके।

जिलाधिकारी सुलतानपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी सुलतानपुर व अधिशाषी अधिकारी सुलतानपुर सम्पूर्ण न्यायालय परिसर (न्यायालय भवन व अधिवक्ता चैम्बर आदि) का सम्पूर्ण सैनिटाइज़ेशन कराया जाना सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी कम्प्यूटर एवं सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1298/ LXXXVII/CPC/e-courts/ Allahabad/ Dated/ 28.07.2020 के अनुपालन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के द्वारा सुनवाई से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु कार्यवाही अमल में लाते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

रिमाण्ड कार्य अवकाश के दिनों की भॉति सम्पन्न होगें जिसके सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजि0 आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

सूचना माननीय उच्च न्यायालय व माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति को प्रेषित की जाये तथा सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

04.9.20

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
04.09.2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–
1– प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुलतानपुर।
2– जिलाधिकारी सुलतानपुर।
3– जिलाधिकारी अमेठी।
4– पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर।
5– पुलिस अधीक्षक अमेठी।
6– मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर।
7– अधीक्षक जिला कारागार सुलतानपुर।
8– बार एसोसिएशन सुलतानपुर।
9– बार एसोसिएशन कादीपुर।
10–बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना।
11–जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
12–सिस्टम आफिसर को जिला न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

04.9.20

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
04.09.2020